

सं०सं०-म०नि०-II-उ० यो०-86/2021-22/ 29 सं०(वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा दो चरणों में अनुमोदित परियोजनाओं की (लाभुकांश एवं केन्द्रांश/राज्यांश के रूप में प्रदान की जाने वाली अनुदान की राशि सहित) कुल मो० 95.5486 करोड़ (पंचानवे करोड़ चौवन लाख छियासी हजार) रू० मात्र की परियोजना लागत पर योजना क्रियान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

राँची/दिनांक 01.12.23

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार से दो चरणों में प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत है। अनुमोदित परियोजनाओं की कुल मो० 95.5486 करोड़ (पंचानवे करोड़ चौवन लाख छियासी हजार) रू० मात्र की परियोजना लागत जिसमें लाभुकांश एवं अनुदान की राशि (केन्द्रांश/राज्यांश) निहित हैं, की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (SLAMC)" के अनुमोदन उपरांत पत्रांक-981 दिनांक-01.06.2023 द्वारा भारत सरकार को योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गए।

(ख) भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो चरणों में Beneficiary Oriented Schemes तथा Non Beneficiary Oriented Schemes के तहत निम्न प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं-

(राशि करोड़ रू० में)

क्रम	प्रशासनिक अनुमोदन संख्या एवं तिथि	अनुमोदित कुल परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	लाभुकांश
Beneficiary Oriented Schemes					
1	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 26-07-2023	76.376	26.29636	17.53084	32.5488
2	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 20-09-2023	15.00	5.364	3.576	6.06
Non Beneficiary Oriented Schemes					
3	j-01011/1/2020-Fy-(E-17706) Dated 20-09-2023	4.1726	2.5036	1.669	0.00
	कुल	95.5486	34.16396	22.77584	38.6088

3. उपर्युक्त दोनों प्रशासनिक अनुमोदन से स्वीकृत कुल परियोजनाओं का एकीकृत स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु इस योजना का पूर्व निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (वि०) दिनांक 03.10.2023 को विलोपित किया जाता है।

4. इस स्वीकृत्यादेश में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से किस्तवार विमुक्त केन्द्रांश की राशि, केन्द्रांश मद में बजट तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त होने के उपरान्त ही राशि व्यय की जाएगी।

5. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपर्युक्त कड़िका-2 में अंकित विवरणी के क्रम में भारत सरकार के पत्रांक F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 29.09.2023 द्वारा Beneficiary Oriented Schemes में कोटिवार विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि निम्न है -

(क) (सामान्य एवं महिला कोटि)

(Rs. in lakh)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	GENERAL + WOMEN Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of GoI approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	1995.91	0.00	138.33	1857.58

(ख) (अनुसूचित जनजाति कोटि)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	ST Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of GoI approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	705.96	0.00	176.49	529.47

(ग) (अनुसूचित जाति कोटि)

Sl. No.	Financial Year	Name of the Project	SC Category			
			Admn. Approval	Earlier Release by Gol	Current Release by Gol	Central share yet to be released by Gol
1	2023-24	Fisheries Developmental proposal of goI approved vide order of even no. dated 26 th July, 2023 and 20 th September, 2023	464.17	0.00	539.28	-75.11
Grand Total :					854.10	

6. भारत सरकार से सामान्य, महिला कोटि तथा अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए यथा उपर्युक्त विमुक्त केन्द्रांश मो० 3.1482 करोड़ (तीन करोड़ चौदह लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र एवं समानुपातिक राज्यांश मो० 2.09882 करोड़ (दो करोड़ नौ लाख अठासी हजार दो सौ रुपये) मात्र हेतु समुचित बजट उपबंध प्राप्त है। अतः उक्त कोटि में कुल मो० 5.24702 करोड़ (पाँच करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार दो सौ) रुपये मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. अनुसूचित जाति कोटि अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश को ध्यान में रखकर इस कोटि के लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अनुमोदन, केन्द्रांश तथा राज्यांश में अतिरिक्त बजट उपबंध प्राप्त कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

अरुण

107

8. उपर्युक्त कंडिका-6 में अंकित व्यय हेतु राशि निम्न लघु शीर्षों में प्राप्त बजट उपबंध से व्यय की जायेगी :

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(लाख रू० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	पुनर्विनियोग द्वारा संशोधित बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं० 17 रा० (वि०) दिनांक 25.07.2023 द्वारा स्वीकृत राशि	वर्तमान में व्यय हेतु स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन					
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	2010.00	0.00	120.330	1889.670
	कुल केन्द्रांश	2010.00	0.00	120.330	1889.670
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	1331.712340	0.000	80.2210	1251.49134
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	38.287660	38.287660	0.0000	0.000
	कुल राज्यांश	1370.000000	38.287660	80.2210	1251.49134
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	450.00	0.00	0.00	450.00
	कुल केन्द्रांश	450.00	0.00	0.00	450.00
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	299.6337	0.0000	0.0000	299.6337
6	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	7.3663	7.3663	0.0000	0.0000
	कुल राज्यांश	307.0000	7.3663	0.0000	299.6337
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना					
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	1350.00	0.00	194.490	1155.510
	कुल केन्द्रांश	1350.00	0.00	194.490	1155.510
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	895.95396	0.000	129.66100	766.29296
9	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	17.04604	17.04604	0.00	0.00
	कुल राज्यांश	913.00	17.04604	129.6610	766.29296
	सकल केन्द्रांश	3810.00	0.00	314.820	3495.180
	सकल राज्यांश	2590.00	62.70	209.8820	2317.418
	कुल योग (2405) :	6400.00000	62.70000	524.70200	5812.59800

मो० 5.24702 करोड़ (पाँच करोड़ चौबीस लाख सत्तर हजार दो सौ) रुपये मात्र।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।

10. इस योजना के तहत स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5/11/24
राज्य
102

12. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा दो चरणों में निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी पत्रों में कंडिका 3 (d) एवं 3 (e) के अनुसार -

- (1) भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि चार बराबर किस्तों में विमुक्त की जायेगी।
- (2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमोदित परियोजनाओं के विरुद्ध आवश्यक राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि (केन्द्रांश एवं राज्यांश) से किया जा सकेगा।

13. (i) इस केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के लाभुकों की योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है-

लाभुकों की कोटि	लाभुक का अंशदान	लाभुकों के अंशदान के उपरांत अनुदान की राशि में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात	
		केन्द्रांश	राज्यांश
सामान्य	60 %	60 %	40%
अनुसूचित जनजाति	40 %	60 %	40%
अनुसूचित जाति	40 %	60 %	40%
महिला	40 %	60 %	40%

(ii) Non Beneficiary Oriented Schemes में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60 : 40 है।

14. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत इस योजना की मार्गदर्शिका, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दो चरणों में निर्गत प्रशासनिक अनुमोदनों तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत राज्यादेश सं0-49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 की कंडिका-10.1 से 10.3, 10.5 एवं 10.6 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

16. केज अधिष्ठापन एवं अनुदान की राशि का व्यय भारत सरकार के पत्रांक 117012-3/2020-Fy दिनांक 12.12.2022 द्वारा निर्गत Revised Operational Guidelines में निरूपित प्रावधान जो मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2075 दिनांक 30.12.2022 एवं पत्रांक 924 दिनांक 24.05.2023 द्वारा संसूचित हैं, के अनुरूप किया जाएगा।

17. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत Non Beneficiary Oriented Schemes के तहत गिधनी, देवघर में फिश ब्रुड बैंक के अधिष्ठापन की परियोजना हेतु कुल मो0 417.26 लाख रु0 मात्र के परियोजना लागत की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रांश मो0 250.36 लाख रु0 एवं राज्यांश मो0 166.90 लाख रु0 मात्र हैं। उक्त परियोजना के लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची से मो0 416.38 लाख रु0 मात्र के योजना प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति दिनांक 27.01.2022 को प्राप्त है तथा इसका डी0पी0आर0 मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1483 दिनांक-21.09.2022 द्वारा एन0एफ0डी0बी0, हैदराबाद को प्रेषित है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करते हुए फिश ब्रुड बैंक, गिधनी के लिए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से निर्धारित IA (जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

3/11/22

67

देवघर) के खाते में दी जायेगी। IA द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, देवघर को PFMS Portal पर अपने अधीन Vendor के रूप में Register किया जायेगा। Vendor से प्राप्त भौतिक प्रगति एवं माँग प्रतिवेदन के अनुरूप IA द्वारा Vendor को अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं०, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

निर्माण कार्य हेतु तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के अधीन गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

19. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का भौतिक प्रगति एवं स्थल verification प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

20. व्यय हेतु वर्तमान में स्वीकृत राशि मात्र Beneficiary Oriented Schemes के लिए है। जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1, 2 तथा 3 के रूप में संलग्न है। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। इसे भारत सरकार को नियमित भेजा जायेगा।

21. इस प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भारत सरकार से केन्द्रांश की विमुक्ति होने के उपरांत, केन्द्रांश तथा समानुपातिक राज्यांश का बजट उपबंध प्राप्त कर राशि व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत्यादेश तथा आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। आवंटनादेश में भारत सरकार से राशि की विमुक्ति संबंधी पत्र का उल्लेख किया जायेगा।

22. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

24. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव


ज्ञापांक :-/राँची, दिनांक

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव


ज्ञापांक :- 29 रा०(वि०)/राँची, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 29 रा०(वि०)/राँची, दिनांक 01.12.23

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।




सरकार के सचिव

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मौक्तिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु में)

S.No.	Name of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)										Amount Sanctioned										Total			
					General		ST		SC		Women		Total		General		ST		SC		Women		Total					
					6	7	8	9	10	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State		Central	State	
6.5	Motor cycle with ice box	0.75	Nos.		Dumka	3	18	5	2	28	0.36	0.54	0.36	0.54	4.86	3.24	1.35	0.90	0.36	0.54	7.29	4.86						
					Sahebganj	5	9	0	2	16	0.90	0.60	0.60	0.90	2.43	1.62	0.00	0.00	0.54	0.36	0.54	3.87	2.58					
					Gumla	2	2	2	2	8	0.36	0.24	0.36	0.54	0.54	0.36	0.54	0.36	0.54	0.36	0.54	1.98	1.32					
					Chatra	3	4	15	2	24	0.54	0.36	0.36	0.54	1.08	0.72	4.05	2.70	0.54	0.36	0.54	6.21	4.14					
					Dhanbad	7	2	0	3	12	1.26	0.84	0.54	0.36	0.36	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.54	2.61	1.74				
					Jamtara	9	3	5	3	20	1.62	1.08	0.81	0.54	1.35	0.81	0.54	1.35	0.90	0.00	0.00	0.81	0.54	4.59	3.06			
					Khunti	0	1	0	3	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.54	1.08	0.72			
					Ranchi	1	2	2	1	6	0.18	0.12	0.12	0.54	0.36	0.36	0.54	0.36	0.54	0.18	0.18	0.54	1.53	1.02				
					Jamshedpur	5	2	1	0	8	0.90	0.60	0.60	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.18	0.00	0.00	1.71	1.14			
					Chaibasa	1	5	2	4	12	0.18	0.12	0.12	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	1.08	0.72				
					Pakur	4	7	3	0	14	0.72	0.48	0.48	0.54	1.89	1.26	0.81	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.42	2.28				
					Hazaribagh	2	2	2	5	11	0.36	0.24	0.24	0.36	0.54	0.36	0.36	0.54	0.36	0.54	0.36	0.54	2.79	1.86				
					Palamu	2	5	5	2	14	0.36	0.24	0.24	0.36	1.35	0.90	0.90	1.35	0.90	0.90	0.90	1.35	3.60	2.40				
					Garhwa	9	1	1	2	13	1.62	1.08	0.81	0.54	0.27	0.18	0.18	0.27	0.18	0.27	0.18	0.27	2.70	1.80				
					Rangarh	3	0	1	5	9	0.54	0.36	0.36	0.54	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.27	0.18	0.27	2.16	1.44				
					Giridih	4	0	1	1	6	0.72	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.27	0.18	0.27	1.26	0.84				
					Deoghar	4	0	1	8	13	0.72	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.18	0.27	0.18	0.27	3.15	2.10				
					Bokaro	5	2	2	5	14	0.90	0.60	0.60	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.42	2.28				
					Lohardaga	7	0	0	1	8	1.26	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.80				
					Koderma	2	0	6	2	10	0.36	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	1.44				
					Godda	2	7	5	4	18	0.36	0.24	0.24	1.89	1.26	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	4.68	3.12				
					Total	80	72	59	57	268	14.40	9.60	12.96	19.44	12.96	15.93	10.62	15.93	10.26	15.93	10.26	15.93	65.16	43.44				
					6.6	Cycle with ice boxes	0.10	Nos:		Dumka	0	0	2	0	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Sahebganj	1	1	0	1						3	0.024	0.016	0.016	0.036	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.036	0.024					
Chatra	5	0	2	3						10	0.120	0.080	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.360	0.240					
Pakur	22	4	1	18						45	0.528	0.352	0.352	0.144	0.096	0.036	0.024	0.048	0.032	0.016	0.016	0.648	0.432					
Palamu	1	0	1	1						3	0.024	0.016	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.016					
Ranchi	2	5	5	0						12	0.048	0.032	0.032	0.180	0.120	0.180	0.120	0.180	0.120	0.180	0.120	0.360	0.240					
Total	31	10	11	23						75	0.744	0.496	0.496	0.360	0.240	0.396	0.264	0.396	0.264	0.396	0.264	1.152	0.768					
6.7	Three wheeler with ice box including e-rickshaws for fish vending	3.00	Nos.							Dumka	2	10	3	2	15	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	8.64	5.76		
										Sahebganj	3	2	2	2	9	2.16	1.44	1.44	2.16	6.48	4.32	4.32	6.48	4.32	6.48	19.44	12.96	
										Gumla	2	2	2	2	8	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	2.88	4.32	12.96	8.64
										Slmdlega	0	2	0	2	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Dhanbad	2	2	11	2	17	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	2.88	4.32	12.96	8.64
										Chatra	3	3	0	3	9	2.16	1.44	1.44	2.16	6.48	4.32	4.32	6.48	4.32	4.32	6.48	19.44	12.96
										Jamtara	2	0	2	1	5	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	2.88	4.32	12.96	8.64
										Khunti	0	5	0	1	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Ranchi	0	1	1	1	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Chaibasa	3	1	0	0	4	2.16	1.44	1.44	1.08	0.72	0.72	1.08	0.72	0.72	1.08	0.72	2.16	1.44
										Pakur	2	4	2	3	11	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	2.88	4.32	12.96	8.64
										Hazaribagh	0	1	1	0	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Palamu	2	4	5	2	13	1.44	0.96	0.96	1.44	4.32	2.88	2.88	4.32	2.88	2.88	4.32	12.96	8.64
										Garhwa	0	0	0	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Rangarh	0	1	0	1	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Latehar	0	4	1	1	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bokaro	4	20	11	4	39	2.88	1.92	1.92	2.16	6.48	4.32	4.32	6.48	4.32	4.32	6.48	19.44	12.96					
					Giridih	1	0	2	1	4	0.72	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	1.44				
					Deoghar	0	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					Lohardaga	8	0	0	1	9	5.76	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36	10.24					
					Koderma	0	0	1	2	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					Godda	0	1	5	2	8	0.00	0.00	0.00	1.08	0.72	0.72	1.08	0.72	0.72	1.08	0.72	1.08	3.24	2.16				
					Total	34	67	67	51	41	193	24.48	16.32	72.36	48.24	55.08	36.72	55.08	36.72	44.28	29.52	44.28	196.20	130.80				

107

ATP
Suman

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु में)


S.No.	Name Of the Component	Unit Cost (No./Ha.)	Unit (No./Ha.)	Category (Beneficiary nos.)										Amount Sanctioned						Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				General		SC		Women		Total		General		ST		SC		Women																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302

परिशिष्ट-3

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत द्वितीय चरण में Non Beneficiary योजनाओं के लिए कोटिवार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (लाख रु० में)

S.No.	Name Of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	Name of the District	Total Project Cost	Total	
						Central	State
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Technology Infusion and Adaptation						
1.1	Establishment of Brood Bank at Gidhani Government Fish Farm, Deoghar	As per actual	1	Deoghar	417.26	250.36	166.90
				Total	417.26	250.36	166.90

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।)


(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

समान सचिव